न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक, मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : मनसुख राम डामोर, R.A.S.

पत्रावली संख्या : **14/23 (प्रा0पत्र)**

GCMS No. : 2023/30

अनवान्

1. श्रीमती सागर बाई पुत्री स्वं. श्री अम्बादान चारण पत्नी श्री गंगादान जी, आयु बालिग, निवासी अमरतिया, जिला–राजसमन्द (राज.) ।
2. श्रीमती पुरण कवर पुत्री स्वं श्री अम्बादान चारण पत्नी श्री तेज सिंह देवल. आयु–बालिग, निवासी– 17. नई आबादी, सज्जनपुरिया वार्ड 01, मग्रोदा, जिला– प्रतापगढ़ (राज.) ।
3. श्रीमती धापूबाई पुत्री स्वं श्री अम्बादान चारण पत्नी श्री रतन सिंह चारण, आयु–बालिग, निवासी–वार्ड न 10 दुदालिया चंगेड़ी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज.)।

..............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री दोलत सिंह पिता श्री अम्बादान चारण, आयु बालिग, निवासी– दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
2. श्री भगवानलाल गुर्जर पिता श्री जगरूप जी. आयु–बालिग, निवासी– दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
3. श्री शम्भू सिंह पिता श्री मेहताब सिंह चारण, आयु बालिग, निवासी– दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
4. श्री गजेन्द्र सिंह पिता श्री चमन सिंह चारण, आयु बालिग, निवासी– दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
5. श्री महेन्द्र सिंह पिता श्री चमन सिंह चारण, आयु– बालिग, निवासी– दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
6. श्री दिनेश सिंह पिता श्री चमन सिंह चारण, आयु बालिग, निवासी– दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
7. श्री कुलदीप सिंह पिता श्री चमन सिंह चारण, आयु– बालिग, निवासी– दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
8. श्रीमती रतन बाई पत्नी श्री जगदीशचन्द्र, आयु– बालिग, निवासी– दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
10. उपपंजीयक महोदय, कार्यालय उपपंजीयक नायब तहसील सनवाड, जिला उदयपुर (राज.)।

..................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री मिथिलेश पगारिया, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता विपक्षी सं. 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.06 18:11:44 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णय ::

दिनांक 02.08.2024

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा दुदालिया पटवार हल्का चंगेडी की आराजी नम्बर 12, 2, 667/1 किता 3 रकबा 1.0602 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 48 से 53, 60 से 62, 668/54 किता 10 रकबा 2.6143 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 54 से 58 किता 5 रकबा 1.9991 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 225 से 227, 232, 233 किता 5 रकबा 0.9388 हेक्टेयर।
2. यह कि उक्त भूमियां पूर्व में प्रार्थीगण के दादा श्री हरदान पिता भेरूदान जी के नाम से राजस्व रेकार्ड में अंकित थी ओर हरदान पिता भेरूदान की विरासत से उनके तीन पुत्र मेहताब दान, चालकदान, अम्बादान के नाम हिस्सा बराबर से राजस्व रेकार्ड में अंकित हुई तत्पश्चात् प्रार्थीगण के पिता अम्बादान जी की मृत्यु के पश्चात् अम्बादान जी का हिस्सा प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 में उनके पुत्र पुत्री एवं विधिक वारिसान होने से बराबर बराबर निहित हुई।
3. यह कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 का पारिवारिक सजरा इस प्रकार है :–

हरदान पिता भेरूदान चारण फौत (मूल पुरूष)

मेहताबदान, पुत्र | चालकदान, पुत्र | अम्बादान, पुत्र

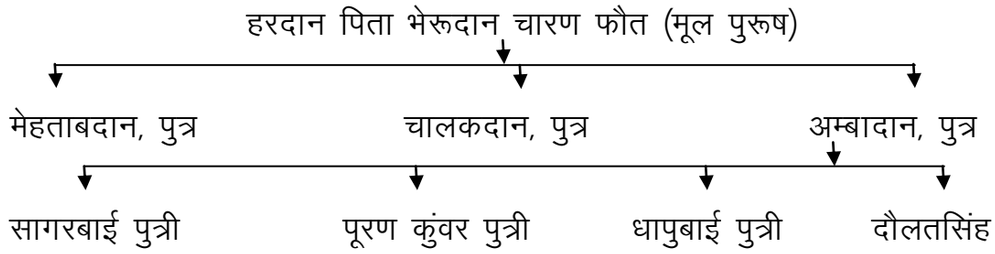

सागरबाई पुत्री | पूरण कुंवर पुत्री | धापुबाई पुत्री | दौलतसिंह

उक्त उक्त सजरे के अनुसार श्री अम्बादान पिता श्री हरदान जी के तीन पुत्रियां प्रार्थी संख्या संख्या 01 श्रीमती सागरबाई, प्रार्थी संख्या 02 श्रीमती पूरण कंवर, प्रार्थी संख्या 03 श्रीमती धापुबाई एवं एक पुत्र विपक्षी संख्या 01 श्री दौलत सिंह होकर श्री अम्बादान जी के निधन के बाद हिन्दु उत्तराधिकार के प्रावधानो के तहत स्व. श्री अम्बादान जी का उक्त वर्णित भूमियों में स्थित कुलिया हिस्सा प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 में बराबर–बराबर निहित हुआ जिससे स्व. श्री अम्बादान जी के उक्त वर्णित भूमियों में स्थित कुलिया हिस्से में प्रार्थीया सागरबाई का 1/4 हिस्सा, प्रार्थीया पूरणबाई का 1/4 हिस्सा, प्रार्थीया धापुबाई का 1/4 हिस्सा एवं विपक्षी सख्यां 01 दौलत सिंह का 1/4 हिस्सा निहित हुआ लैकिन विपक्षी संख्या 01 ने प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 01 के पिता श्री अम्बादान जी के निधन के बाद पटवारी हल्का एवं राजस्व कर्मचारियों से मिलिभगत कर श्री अम्बादान जी के उक्त वर्णित भूमियो के हिस्से को नुमाईशी तौर पर केवल विपक्षी संख्या 01 के नाम पर राजस्व रिकार्ड में अंकित करवा लिया गया और जानबूझकर प्रार्थीगण सागरबाई, पूरणब[illegible]ई का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं होने दिया पटवारी हल्का एवं पंचायत [illegible] कोरम ने भी मृतक अम्बादान जी के वारिसान की सही जांच नही की ओर न ही भू अभिलेख निरीक्षक ने नामान्तकरण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.06 18:11:44 IST
Reason: SelfAttested

जांच करने के दौरान वारिसान की जांच की ओर हम प्रार्थीगणों को हमारे हक हिस्से से महरूम रखने की बदनियत से वादग्रस्त भूमि गलत रूप से अम्बादान जी के बजाय केवल मात्र विपक्षी संख्या 01 ने अपने नाम पर अंकित करा ली जबकि विपक्षी संख्या 01 को इस बात का भली भांति ज्ञान था कि उसके तीन सगी बहिने भी है ओर उनका श्री अम्बादान जी की मृत्यु के पश्चात् उनकी कुलीया व चल व अचल सम्पति में बराबर–बराबर हक स्वत्व हित अधिकार निहित है फिर भी उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने नाम गलत रूप से अंकित करा ली जिससे विपक्षी संख्या 01 को किसी प्रकार का कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होता एवं ऐसा राजस्व रिकार्ड का इन्द्राज प्रार्थीगण के मुकाबले प्रारम्भ से रदद शुन्य व बैअसर है।

4. यह कि इसके पश्चात विपक्षी संख्या 01 के द्वारा बिना किसी वैध प्राधिकार के नुमाईशी तौर पर प्रार्थीगण के हिस्से की कलम संख्या 1 (क), 1 (ख), एवं 1(ग) में वर्णित भूमियो को विधि विरूद्ध तरीके से विपक्षी संख्या 02 को फर्जी एवं मिथ्या तरिके से बेचान कर दिया ऐसे में विपक्षी संख्या 01 के द्वारा विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में किये गये उक्त सभी तथाकथित अन्तरण प्रार्थीगण के हक अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भ से ही रद्द शून्य व बेअसर है तथा ऐसे विक्रय के आधार पर आगे किये गये अन्तरण की प्रक्रिया भी स्वतः शून्य है विपक्षी संख्या 01 के द्वारा राजस्व अधिकारियो से मिलीभगत कर केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर प्रार्थीगण के हिस्से की भूमियां विक्रित करने का कुत्सित प्रयास किया है जिससे प्रार्थीगण को अपने हिस्से की घोषणा विभाजन एवं स्थायी निशेधाज्ञा हेतु वाद लाया गया है जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना अतिआवश्यक हो गया है जिससे हस्तगत प्रार्थनापत्र और से प्रस्तुत किया जा रहा है।

5. यह कि हस्तगत प्रकरण के साथ प्रस्तुत वाद घोषणा के साथ विभाजन का भी वाद होने के कारण विपक्षी संख्या 03 से लगायत 08 वादग्रस्त भूमियों के सहखातेदार होने एवं विपक्षी संख्या 09 भूमि धारक राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय होकर प्रकरण में आवश्यक पक्षकार एवं विपक्षी संख्या 10 उपपंजीयक महोदय सनवाड़ को प्रकरण में उत्तरोत्तर विधि विरूद्ध विक्रय पत्र निष्पादित न हो इस कारण हस्तगत प्रार्थना पत्र में भी पक्षकार बनाया गया है।

6. यह कि उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 के पिता श्री अम्बादान पिता हरदान के नाम अंकित थी एवं श्री अम्बादान जी की विरासत के विधि विरूद्ध एवं विधि शुन्य नामान्तकरण से यह भूमि उपर वर्णित अनुसार विपक्षी 01 ने अकेले अपने नाम पर गलत रूप से अंकित करा ली जो हम प्रार्थीगण के मुकाबले प्रारम्भ से ही अवैध होकर शुन्य है ओर ऐसे अवैध नामान्तकरण के आधार विपक्षी संख्या 01 को किसी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.06 13:11:44 IST
Reason: SelfAttested

के कोई राईट एवं टाईटल प्राप्त नही होते है, कथित नामान्तकरण दर्ज करने से पुर्व पटवारी हल्का हल्का ने वारिसान की सही जांच नही की ओर भू अभिलेख निरिक्षक ने पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामान्तकरण पर अपनी टिप्पणी कर दी ओर कथित नामान्तकरण को स्वीकृत करने से पूर्व हम प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गयी ओर उक्त नामान्तकरण हम प्रार्थीगण के बिना ज्ञान, बिना सहमति के छल कपट पुर्वक हम प्रार्थीगण को हमारे हक हिस्से की सम्पति से महरूम रखने की बदनीयत से खोला गया है जिसके आधार पर विपक्षी संख्या 01 को सम्पूर्ण भूमि का किसी प्रकार का कोई राईट टाईटल प्राप्त नही होता है और यह नामान्तकरण प्रार्थीगण के हक अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भ से ही अवैध रद्द एवं शून्य है जिससे विपक्षी संख्या 01 को इस आधार पर किसी प्रकार का कोई हस्तान्तरण विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में करने का कोई विधिक हक अधिकार ही प्राप्त नहीं है ऐसी स्थिती विपक्षी संख्या 01 के द्वारा विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में प्रार्थीगण के हक व हिस्से के सम्बन्ध में किया गया कथित अन्तरण प्रार्थीगण के मुकाबले प्रारम्भ से ही रद्द शुन्य व बैअसर होने से विपक्षी संख्या 02 को भी प्रार्थीगण के मुकाबले किसी प्रकार का कोई हक अधिकार व राईट टाईटल प्राप्त नहीं है।

7. यह कि इस प्रकार वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है एवं चूंकि प्रार्थीगण हिन्दु जाति के होकर हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान इस पर लागू होते है ओर हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हम प्रार्थीगण हमारे पिता अम्बादान जी के प्रथम श्रेणी के वारिसान है जिनकी निर्वसतीय मृत्यु के पश्चात् से ही उनकी समस्त भूमियों में बराबर बराबर हक अधिकार है, यहां यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि स्व. श्री अम्बादान जी की मृत्यु निर्वसतीय हुई है तथा स्व. श्री अम्बादान जी की मृत्यु के पश्चात् उनकी उक्त भूमियों का नामान्तरण भी गलत तरीके से केवल मात्र उनके वारिसानों में से केवल एक पुत्र विपक्षी संख्या 01 के नाम पर विधि विरूद्ध तरिके से दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीगण भी स्व. श्री अम्बादान जी की प्रथम श्रेणी की जीवित वारिस है. जिससे अपने हिस्से की घोषणा बंटवारा एवं निषेधाज्ञा हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ हस्तगत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत है।

8. यह कि प्रार्थीगण के भाई विपक्षी संख्या 01 को इस बात का भली भांति ज्ञान था एवं ज्ञान है कि वादग्रस्त भूमि में हम प्रार्थीगण का जन्म से ही हक अधिकार होकर सयुक्त कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है. लेकिन विपक्षी 01 द्वारा आगे विपक्षी संख्या 02 को गलत तरीके से विक्रय किये गये एवं उक्त भूमि विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में समर्पित कर दी इस प्रकार उपरोक्त सभी विपक्षी गण ने मिलीभगत कर प्रार्थीगण का हक व हिस्सा वादग्रस्त भूमियों में से हस्तगत करने का कुत्सित प्रयास किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.06 18:11:44 IST
Reason: SelfAttested

9. यह कि उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमियो में से कलम संख्या 1 क से लगायत 1 ग में वर्णित भूमियों के सम्बन्ध में हम प्रार्थीगण को नाजायज नुकसान पहुंचाने की बदनियत से विपक्षी संख्या 01 ने उक्त भूमि को बिना कब्जा, बिना हक अधिकार के विपक्षी 02 को नुमाईशी विक्रय पत्रों से विक्रय कर दी जो विकय प्रार्थीगण के मुकाबले अवैध एवं विधि विरूद्ध होकर प्रारम्भ से ही रद्द शून्य व बेअसर है और उक्त विक्रय पत्र विपक्षी संख्या 01 ने अपने हक हिस्से से ज्यादा के निष्पादित किये गये है जिनके आधार पर कथित केता विपक्षी 02 को किसी प्रकार का कोई राईट टाईटल प्रार्थीगण के हिस्से बाबत् प्राप्त नहीं होता है। उक्त विक्रय रद्द शून्य व बैअसर है जिससे सम्बन्धित विपक्षी सख्या 02 को कोई हक अधिकार सृजित नहीं होते है।
10. यह कि वादग्रस्त भूमि में स्व श्री अम्बादान जी के निधन के बाद हम प्रार्थीगण भी प्रथम श्रेणी की वारिस होने से वादग्रस्त भूमि में हमारा कानूनन 1/4, 1/4 हक हिस्सा निहित है ओर विपक्षी संख्या 01 ने अपने 1/4, हक हिस्से से ज्यादा हक हिस्से का अंकन कर फर्जी अवैध विक्रय पत्रों के आधार पर भूमि अन्य विपक्षी संख्या 02 को उपरोक्तानुसार विक्रय कर दी जिससे विपक्षी संख्या 2 वादग्रस्त भूमि से हम प्रार्थीगण को बैदखल करने, रहन बेह बक्षीस आदि तरिकों पर आमादा है तथा केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में भूमियां उनके नाम पर होने से प्रार्थीगण को उनके हक व अधिकारों को चुनोती दे रहे है एवं धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि हमारे नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है इसलिए हम भूमि से बेदखल कर देगें जिस पर प्रार्थीगण ने विपक्षी सख्या 02 को समझाने का प्रयास किया लेकिन विपक्षी संख्या 02 नहीं माना जिससे प्रार्थीगण को भय हो गया है कि विपक्षी सख्या 02 हम प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर देगें एवं हमें हमारे सयुंक्त हक हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग करने, काश्त करने में बाघा पेदा करेगें जिससे प्रार्थीगण के लिए इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है कि दौराने वाद विपक्षी संख्या 01 से 08 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा हस्तक्षेप कारित न करे प्रार्थीगण को जबरन बैदखल न करे मौके एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखते हुए नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमियों को अन्यत्र हस्तान्तरित, अन्तरित नहीं ।
11. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 (क). 2 (ख), एवं 2 (ग) में वर्णित भूमियां प्रार्थीगण के पिता के नाम पर राजस्व कृषि भूमियां होकर प्रार्थीगण के भाई के द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से उक्त भूमियां का तथाकथित रूप से बेचान कर दिया जबकि प्रार्थीगण का उक्त भूमीयों में हक व हिस्सा आज भी निहित है विपक्षी संख्या 1 ने विधिविरूद्ध तरिके से विपक्षी संख्या 02 को नुमाइशी तौर पर प्रार्थीगण के हिस्से की भूमियो के सम्बन्ध में भी विक्रय पत्र निष्पादित कर दिये जबकि विपक्षी सख्या 01 को प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.06 18:11:44 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से को बेचने का कोई अधिकार नहीं था, ऐसे विपक्षी सख्यां 01 के द्वारा नुमाईशी तोर पर निष्पादित किया गया विक्रय पत्र प्रार्थीगण के हक अधिकारों के मुकाबले अवैध, अकृत व शुन्य हैं एवं ऐसे नुमायशी विक्रय पत्र से किसी को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होता हैं प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी हक की पेतृक भूमि हैं, जिसके आधार पर प्रार्थीगण के द्वारा कृषि भूमियों में अपना हिस्सा घोषित करने की सहायता जरिये वादपत्र चाही गयी है जिससे प्रार्थीगण का मामला प्रथम दृष्टया होकर प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

12. यह कि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा होकर वह अपने हिस्से के अनुसार वादग्रस्त भूमियों पर कब्जे काश्त कर रही है, विपक्षी संख्या 01 एवं 02 के द्वारा प्रार्थीगण के हक को छिनने का अवैध प्रयास किया जा रहा है वादग्रस्त भूमिया प्रार्थीगण को उनके पिता से प्राप्त हुई है जिससे सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होकर प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जानी न्यायहित में अतिआवश्यक हो गयी है।

13. यह कि विपक्षी संख्या 01 एवं 02 को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अतिआवश्यक हो गया है कि वे वादग्रस्त भूमि को दौराने वाद किसी अन्य तृतीय पक्ष को रहन बैह बक्षीस आदि तरिको से किसी को भी हस्तान्तरित नही करे तथा प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से अनुसार सयुक्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा पेदा नही करे, बाड़, पेड, फसल आदि को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचावे तथा राजस्व रिकार्ड एवं मोके की यथास्थिति बनाये रखे, व यह कार्य न तो स्वय करे, न ही अपने नौकर एजेन्ट या कुटुम्बी से ही करावे न ही प्रार्थीगण की भूमियों में जबरन अतिक्रमण कर प्रार्थीगण को बैदखल ही करे ऐसी स्थिति में यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित नहीं की जाती है तो प्रार्थीगण को ऐसी सारवान क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति नगदी में किया जाना कदापी सम्भव नहीं होगा।

14. यह कि हस्तगत प्रार्थना पत्र का हेतुक विरूद्ध विपक्षी गण दिनांक 08/02/2023 को बमुकाम दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) में पेदा हुआ जब विपक्षी संख्या 02 ने प्रार्थीगण की भूमियों में अवैध तरिके से अतिक्रमण कर कब्जा करने का असफल प्रयास किया तथा प्रार्थीगण के हक अधिकारो को चुनौति दी व धमकी दी कि वे जबरन प्रार्थीगण को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल कर देंगें एवं वादग्रस्त आराजीयात् अन्य को हस्तान्तरित कर देंगे इस पर प्रार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड की जानकारी करने पर उक्त अवैध विक्रय पत्र की जानकारी हुई जिससे प्रार्थीगण का वाद हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

15. यह कि वादग्रस्त भूमि मोजा दुदालिया, पटवार हल्का चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) में स्थित है जिससे इस [illegible] के श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार एवं कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.06 18:11:44 IST
Reason: SelfAttested

भूमियों की घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद भी माननीय न्यायालय आप में विचाराधीन हाने से हस्तगत प्रार्थनापत्र का श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय आपको प्राप्त है।

16. अतः प्रार्थना है कि बहक प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षी गण के विरूद्ध दौराने लम्बन वाद निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 01 एवं 02 को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अतिआवश्यक हो गया है कि वे वादग्रस्त भूमि को दौराने वाद किसी अन्य तृतीय पक्ष को रहन बैह बक्षीस आदि तरिको से किसी को भी हस्तान्तरित नही करे तथा प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से अनुसार सयुंक्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा पेदा नही करे, बाड़, पेड, फसल आदि को किसी प्रकार की कोई क्षति नही पहुंचावे तथा राजस्व रिकार्ड एवं मोके की यथास्थिति बनाये रखे, व यह कार्य न तो स्वंय करे, न ही अपने नौकर एजेन्ट या कुटुम्बी से ही करावे। कि विपक्षी संख्या 1 से 8 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात् में स्थित प्रार्थीगण के हिस्से को उनके हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नहीं करें एवं शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे यह कार्य वे स्वयं अपने नोकर, चाकर, ऐजेन्ट, मित्र, परिवारजन आदि से भी नहीं करे न करावें एवं यदि दौराने वाद विपक्षी गण के द्वारा ऐसा कोई कृत्य कर लिया जाता है तो जरिये अस्थाई आदेशात्मक निषेधाज्ञा के पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिन की पूर्ववत्त स्थिति बहाल कराई जावे।

17. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी सं. 3 से 7 के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं चाहने से विपक्षी सं. 3 से 7 के विरूद्व कार्यवाही को ड्रोप किया गया। विपक्षी सं. 2 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र पत्र में अंकित आराजीयात का मौजा दुदालिया, पटवार हल्का चंगेड़ी, तहसील मावली में स्थित होने का कथन स्वीकार है। अन्य आराजीयात का उत्तरदाता विपक्षी से कोई सम्बन्ध नहीं होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात किस व्यक्ति के नाम किस हिस्से अनुसार दर्ज है, इस बाबत प्रार्थीगण द्वारा अपने सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मात्र इसी कानूनी बिन्दु के आधार पर निरस्त योग्य है।

18. श्री हरदान पिता श्री भेरुदान प्रार्थीगण के दादाजी होने का कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थीगण अपनी पुख्ता साक्ष्य से साबित करावें। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पूर्व में श्री हरदान पिता श्री भेरुदान के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित होना,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.06 18:11:44 IST
Reason: SelfAttested

हरदान पिता भेरुदान की विरासत से उनके तीन पुत्र सर्वश्री मेहताबदान, चालकदान, अम्बादान के नाम हिस्सा बराबर से राजस्व रेकार्ड में अंकित होने का कथन स्वीकार है किन्तु प्रार्थीगण का यह कथन कि तत्पश्चात प्रार्थीगण के पिता अम्बादान जी की मृत्यु के पश्चात अम्बादान जी का हिस्सा प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 में उनके पुत्र पुत्री एवं विधिक वारिसान होने से बराबर–बराबर निहित हुई, अस्वीकार है। बल्कि वास्तविकता यह है कि अम्बादान के एक मात्र विधिक वारिस उनका पुत्र विपक्षी संख्या 1 दोलतसिंह ही होने से अम्बादान की समस्त कृषि आराजीयात विपक्षी संख्या 1 दोलतसिंह को विरासत में प्राप्त हुई।

19. प्रार्थना पत्र में अम्बादान की पुत्रीयां प्रार्थीगण श्रीमती सागरबाई, श्रीमती पूरण कुंवर, धापूबाई होने का कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थीगण इसे अपनी पुख्ता साक्ष्य से साबित करावें। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में किसी भी प्रकार का हक, हिस्सा नहीं है, इस बाबत सम्पूर्ण उत्तर आगे विशेष कथन में दिया जा रहा है। स्व. श्री अम्बादान जी के उक्त वर्णित भूमियों में स्थित कुलिया हिस्से में प्रार्थीया सागरबाई का 1/4 हिस्सा, प्रार्थीया पूरणबाई का 1/4 हिस्सा, प्रार्थीया धापुबाई का 1/4 हिस्सा एवं विपक्षी दौलतसिंह का 1/4 हिस्सा निहित हुआ लैकिन विपक्षी संख्या 01 ने प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 01 के पिता श्री अम्बादान जी के निधन के बाद पटवारी हल्का एवं राजस्व कर्मचारियों से मिलिभगत कर श्री अम्बादान जी के उक्त वर्णित भूमियो के हिस्से को नुमाईशी तौर पर केवल विपक्षी संख्या 01 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित करवा लिया गया और जानबूझकर प्रार्थीगण सागरबाई, पूरणबाई, धापूबाई का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं होने दिया पटवारी हल्का एवं पंचायत के कोरम ने भी मृतक अम्बादान जी के वारिसान की सही जांच नहीं की ओर न ही भूमि अभिलेख निरिक्षक के नामान्तरकरण की जांच करने के दोरान वारिसान की जांच की और हम प्रार्थीगणों को हमारे हक हिस्से से महरूम रखने की बदनियत से वादग्रस्त भूमि गलत रुप से अम्बादान जी के बजाय केवल मात्र विपक्षी संख्या 01 ने अपने नाम पर अंकित करा ली जबकि विपक्षी संख्या 01 को इस बात का भली भांति ज्ञान था कि उसके तीन सगी बहने भी है ओर उनका श्री अम्बादान जी की मृत्यु के पश्चात उनकी कुलीया व चल व अचल सम्पति में बराबर–बराबर हक स्वत्व हित अधिकार निहित है फिर भी उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने नाम गलत रुप से अंकित करा ली जिससे विपक्षी संख्या 01 को किसी प्रकार का कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होता एवं ऐसा राजस्व रेकार्ड का इन्द्राज प्रार्थीगण के मुकाबले प्रारम्भ से रद्द शुन्य व बैअसर है, पूर्णतया मिथ्या एवं मनगढन्त कथन होने से अस्वीकार है। इस बाबत सम्पूर्ण उत्तर आगे विशेष कथन में दिया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.06 13:11:44 IST
Reason: SelfAttested

20. उत्तरदाता विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित भूमियों को समस्त प्रकार के स्वत्व एवं कब्जे की जांच कर रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा कय कर कब्जा प्राप्त किया गया है। मौके पर क्रय की दिनांक से ही विपक्षी संख्या 2 का कय की हुई आराजीयात पर पुख्ता कब्जा है तथा मौके पर विपक्षी संख्या 2 द्वारा कय करने के तुरन्त पश्चात से ही तारबन्दी करके कब्जा है तथा मौके पर फाटक लगी हुई होकर उस पर विपक्षी संख्या 2 का ताला लगता है अर्थात मौके पर ताला चाबी के अनुसार कय की हुई भूमि पर विपक्षी संख्या 2 का भौतिक कब्जा है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा भूमि विकय कर कब्जा सुपूर्द करने के पश्चात उसकी नियत खराब हो गई व विपक्षी संख्या 1 एवं उसके पुत्र–पुत्रियां विपक्षी संख्या 2 के कब्जे में बाधा उत्पन्न करने लगे तो समय–समय पर विपक्षी संख्या 2 द्वारा नियमानुसार फोजदारी कार्यवाहीयां करवाई गई तथा विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 एवं उसके परिवार के व्यक्तियों के विरुद्ध वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें आप माननीय न्यायालय द्वारा विपक्षी संख्या 1 एवं उसके पुत्र–पुत्रियों के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा भी पारित की गई है, जिसके प्रकरण संख्या 13/2023 प्रार्थना पत्र होकर अग्रीम पेशी दिनांक 18–05–2024 को नियत है। उक्त प्रकरण में जानबूझकर विपक्षी संख्या 1 द्वारा न तो मूल वाद में जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है, न ही अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया है। जब विपक्षी संख्या 1 को यह ज्ञात हो गया कि उसे विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण में सफलता नहीं मिलेगी तो विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी बहनों को तैयार कर बेईमानी पूर्वक उद्देश्य से उनके द्वारा यह हस्तगत वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया गया है। जबकि प्रार्थीगण का मौके पर एक ईन्च भूमि पर भी कब्जा नहीं है एवं प्रार्थी संख्या 1 एवं 2 तो राजसमन्द एवं प्रतापगढ़ जिले में निवास करती है, इस कारण प्रार्थीगण का कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा जो भूमि विपक्षी संख्या 1 से कय की गई है वह भूमि विपक्षी संख्या 1 की स्व–अर्जित खातेदारी, स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि थी, जिसे ही विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य तथा खातेदारी की भूमि बताते हुए विपक्षी संख्या 2 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर विपक्षी संख्या 2 को कब्जा सुपूर्द किया गया है। चूंकि जो भूमि विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 को विकय की वह भूमि विपक्षी संख्या 1 को उसके चाचा श्री चालकदान जी से रजिस्टर्ड बक्षीसनामा से प्राप्त हुई है, इस कारण विपक्षी संख्या 2 के नाम अंकित आराजीयात में प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का कोई भी स्वत्व, खातेदारी अधिकार एवं अधिपत्य उत्पन्न नहीं होता है। यह गलत है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा किसी भी प्रकार का झूठा भी नमायशी विकय पत्र विपक्षी संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.06 18:11:44 IST
Reason: SelfAttested

के पक्ष में किया गया हो, यह भी गलत है कि विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में किया गया बैचान फर्जी एवं मिथ्या तरीके से हो, यह भी गलत है कि विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में किया गया विकय प्रारम्भ से शून्य व बैअसर हो, प्रार्थीगण द्वारा इस कलम में सारा कथन मिथ्या एवं मनगढ़न्त एवं बैबुनियाद आधारों पर अंकित किया गया है। प्रार्थीगण को विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध न तो वाद कारण उत्पन्न होता है, न ही उन्हें वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार है।

21. यह गलत है कि प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई हक प्राप्त होता हो। जहां तक विपक्षी संख्या 2 के खातेदारी एवं कब्जे की भूमि का प्रश्न है तो उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 को जरिये रजिस्टर्ड बक्षीस से प्राप्त होने के पश्चात विपक्षी संख्या 1 ने उसकी स्व–अर्जित, खातेदारी एवं कब्जे की भूमि को विपक्षी संख्या 2 को विधिनुसार रजिस्टर्ड विकय पत्र से विक्रय कर कब्जा सुपूर्द किया है एवं इसके लिये विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 से बहुमूल्य राशि प्राप्त की है। विपक्षी संख्या 2 गरीब व्यक्ति होकर उसने अपनी जीवनभर की कमाई से तथा उसकी ग्राम बलीचा में स्थित भूमि को विक्रय कर इस वादग्रस्त भूमि को कय किया है किन्तु अब विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को तैयार कर एवं विपक्षी संख्या 1 के परिवार के व्यक्ति सभी मिलकर धोखाधडी करते हुए षड्यन्त्र पूर्वक तरीके से विपक्षी संख्या 2 से उसकी भूमि को छीनना चाहते है इसी दुरुदेश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस कारण प्रार्थीगण हस्तगत वाद एवं प्रार्थना पत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी सहायत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 को यह बताते हुए कि उसे विपक्षी संख्या 2 को विकय की जाने वाली भूमि चालकदान से बक्षीस में प्राप्त हुई है, इस कारण वह उसकी स्व–अर्जित सम्पत्ति है, विपक्षी संख्या 2 को विक्रय कर कब्जा सुपूर्द किया गया है। इस कारण प्रार्थीगण का यह कथन कि प्रार्थीगण के भाई विपक्षी संख्या 1 को इस बात का भलीभांति ज्ञान था एवं ज्ञान है कि वादग्रस्त भूमि में हम प्रार्थीगण का जन्म से ही हक, अधिकार होकर संयुक्त कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है, लेकिन विपक्षी संख्या 1 द्वारा आगे विपक्षी संख्या 2 को गलत तरीके से विक्रय किये गये एवं उक्त भूमि विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में समर्पित कर दी गई इस प्रकार उपरोक्त सभी विपक्षीगण ने मिलीभगत कर प्रार्थीगण का हक व हिस्सा वादग्रस्त भूमियों में से हड़पने का कुत्सित प्रयास किया गया है, मिथ्या एवं मनगढ़न्त कथन होने से अस्वीकार है।

22. यह गलत है कि विपक्षी संख्या 1 ने बिना कब्जा दिये एवं बिना हक के विपक्षी संख्या 2 को कलम संख्या ''क'' से लगायत ''ग'' की भूमियों को विकय किया हो। यह भी गलत है कि विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र प्रार्थीगण के मुकाबले विधि

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.06 18:11:44 IST
Reason: SelfAttested

विरुद्ध होकर शून्य एवं बैअसर हो। प्रार्थीगण अम्बादान के प्रथम श्रेणी के वारिसान हो, यह भी गलत है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का 1/4, 1/4 हिस्सा निहित हो, यह भी गलत है कि फर्जी अवैध तरीके से विपक्षी संख्या 2 को विक्रय किया गया हो, यह भी गलत है कि विपक्षी संख्या 2 प्रार्थीगण को बैदखल करने एवं रहन–बेह बक्षीस तरीको से आमादा हो। जब प्रार्थीगण का कब्जा ही नहीं है तो उन्हें बैदखल किये जाने का प्रश्न ही कहां उत्पन्न होता है। विपक्षी संख्या 2 के नाम पूर्ण विधिक तरीके से कय की हुई भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित हुई है। प्रार्थीगण को घोषणा, बंटवाडा एवं निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार ही नहीं हैं।

23. प्रार्थीगण हस्तगत प्रार्थना पत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, न ही अनुतोष के पैरा की उप कलम क से ग में अंकित कोई भी सहायता प्राप्त करने की अधिकारीणी है। प्रार्थीगण ने विपक्षी सं. 1 से मिलीभगत कर विपक्षी सं. 2 को जलील, परेशान करने एवं विपक्षी सं. 2 से भूमि षडयन्त्र पूर्वक तरीके से हडपने की गरज से यह मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो विशेष हर्जे खर्चे सहित निरस्त किये जाने योग्य है एवं उत्तरदाता विपक्षी, प्रार्थीगण से धारा 35'क' से जा.दी. के अन्तर्गत बतौर विशेष हर्जा खर्चा 25000/– अक्षरे पचीस हजार रूपया प्राप्त करने का अधिकारी है जो प्रार्थीगण से दिलाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कराया जावें।

24. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उत्तरदाता विपक्षी को जो भूमि विपक्षी संख्या 1 द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र से विक्रय कर कब्जा सुपूर्द किया गया है वह भूमि विपक्षी संख्या 1 को उसके चाचा चालकदान से जरिये रजिस्टर्ड बक्षीस पत्र प्राप्त हुई थी, जिससे वह भूमि विपक्षी संख्या 1 के स्वंय के स्वत्व, खातेदारी अधिकार एवं अधिपत्य की भूमि थी, इस कारण प्रार्थीगण का विपक्षी संख्या 2 को विकय की गई भूमि, जो विपक्षी संख्या 2 के नाम समस्त राजस्व अभिलेखों में अंकित है, में प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का कोई भी हक, अधिकार एवं अधिपत्य नहीं है। इस कारण से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मात्र इसी बिन्दु के आधार पर निरस्त योग्य है। यह कि उत्तरदाता विपक्षी द्वारा, इस प्रार्थना पत्र के पहले विपक्षी संख्या 1 एवं उसके परिवार के विरुद्ध एक वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या 1 एवं उसके परिवार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी हुई, उस वाद एवं प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या 1 द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जब विपक्षी संख्या 1 को अच्छी तरह से ज्ञात हो गया कि उक्त पूर्व वाद एवं प्रार्थना पत्र में उसे सफलता नहीं मिलेगी तो उसने प्रार्थीगण से दुर्भीसंधि कर षड्यन्त्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.06 13:11:44 IST
Reason: SelfAttested

पूर्वक तरीके से प्रार्थीगण से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवा दिया गया जो बेईमानी का ज्वलन्त उदाहरण है।

25. यह कि मौके पर उत्तरदाता विपक्षी के भौतिक कब्जे में विपक्षी संख्या 1 एवं उसके परिवार के व्यक्ति तथा सहयोगीयों द्वारा बाधा उत्पन्न की जाकर नुकसान कारित किया गया एवं जबरन प्रवेश किया गया तो उत्तरदाता विपक्षी द्वारा फोजदारी कार्यवाही करवाई गई, जिसमें अनुसंधान के दोरान उत्तरदाता विपक्षी के कब्जे में हस्तक्षेप व नुकसान कारित किया जाना प्रमाणित माना जाने से पुलिस थाना फतहनगर द्वारा माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, मावली के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। इससे ही स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार का न तो कब्जा है, न ही स्वामित्व, खातेदारी अधिकार एवं अधिपत्य है।

26. अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र सपरिव्यय निरस्त फरमाया जावे।

27. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी सं. 2 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

28. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 2 से 7 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी सं. 1, 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। चूंकि प्रकरण में विपक्षी सं. 2 से 7 खातेदार काश्तकार है, ऐसी स्थिति में खातेदार के विरूद्ध टी.आई नही दी जा सकती है। प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1, 2 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाहते हैं। वादग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 2 द्वारा विपक्षी सं. 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2022 से क्रय की हैं। विपक्षी सं. 2 एक सद्भावी क्रेता हैं। विपक्षी सं. 2 वर्तमान में खातेदार है। अतः खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नही समझते है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.06 18:11:44 IST
Reason: SelfAttested

2. *सुविधा का संतुलन* – चूंकि वाद वर्णित भूमि के खातेदार विपक्षी सं. 2 से 7 है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित हुआ हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध में निर्णित किया जाता है।

3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि वाद वर्णित भूमि के खातेदार विपक्षी सं. 2 से 7 है। विपक्षी सं. 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया हैं। यदि विपक्षी सं. 2 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे विपक्षी सं. 2 के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

29. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वर्णित भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 2 से 7 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 2 के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2022 के आधार पर दर्ज हुई हैं। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में मौरूसी भूमि बताकर घोषणा चाही गई हैं, जिसको मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के द्वारा तय किये जायेगे। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के विपक्षी सं. 2 से 7 खातेदार होने से इनको अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में यदि खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो उसके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। यदि प्रकरण में खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये गये है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेंटेबल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.06 13:11:44 IST
Reason: SelfAttested

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली